छात्रवृत्तियाँ
(Scholarship)

महाविद्‌यालय में बी0ए0/बी0एस-सी0/बी0काम0/बी0एड0/बी0टी0सी0/बी0लिब0 प्रथम वर्ष, द्‌वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए शासन द्‌वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित कराया जायेगा जिसके लिए प्रत्येक छात्र/छात्राओं को अलग से आवेदन करना होगा। जिसकी सूचना महाविद्‌यालय की बेवसाइट व नोटिस बोर्ड पर समय समय पर प्रकाशित की जाती है।

✓ **आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें-**

1- **हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (फोटोकापी)**

2- **इण्टरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र (फोटोकापी)**

3- **आय प्रमाण-पत्र $ इण्टरनेट द्‌वारा आय का वेरीफिकेशन (फोटोकापी)**

4- **जाति प्रमाण-पत्र $ इण्टरनेट द्‌वारा जाति का वेरीफिकेशन (फोटोकापी)**

5- **निवास प्रमाण-पत्र $ इण्टरनेट द्‌वारा निवास का वेरीफिकेशन (फोटोकापी)**

6- **बैंक पासबुक (एकाउण्ट नं0/आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) (फोटोकापी)**

7- **पहचान पत्र (जो फार्म में भरवाया गया हो) (फोटोकापी)**

8- **टी0सी0 की प्रति (फोटोकापी)**

9- **फीस रसीद (फोटोकापी)**

10- **शपथ-पत्र (शासन के नियमानुसार लागू होने पर)**

छात्रवृत्ति हेतु छात्र अपने जाति/आय प्रमाण पत्र स्वयं तहसील कार्यालय से बनवायें। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में प्रवेश निरस्तीकरण के साथ ही उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

नोट:- छात्रवृत्ति प्रक्रिया के नियम शासन द्‌वारा निर्धारित नियम ही मान्य होगें।